पत्रांक.........99........../
अ0 नि0(03)–02/2025 (ब0/आ0)

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय
मुख्य सचिवालय, ब्लॉक–02, द्वितीय तल, पटना।

प्रेषक,

सुधांशु कुमार चौबे
विशेष सचिव –सह– प्रभारी निदेशक।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
पटना, गयाजी, गोपालगंज एवं भागलपुर।

पटना, दिनांक 7/1/26

विषयः– **मुख्यशीर्ष–2014–न्याय प्रशासन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–114, विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउंसिल) उपशीर्ष–0004 अभियोजन निदेशालय, मांग सं0–22, विपत्र कोड–22-2014.00.114.0004.. के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में संबंधित जिला अभियोजन कार्यालयों (अनुमंडल अभियोजन कार्यालय सहित) के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं यात्रा व्यय मद में कुल मो0–2,32,000/–(दो लाख बत्तीस हजार) रूपये मात्र राशि आवंटन की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 227 दिनांक 28.03.2025 एवं पत्रांक 235 दिनांक 01.04.2025 के आलोक में संबंधित जिला अभियोजन कार्यालयों (अनुमंडल अभियोजन कार्यालयों सहित) को वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय हेतु मुख्यशीर्ष 2014, न्याय प्रशासन, उप मुख्य शीर्ष–00, लधु शीर्ष–114, विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउंसिल), उपशीर्ष–0004, अभियोजन निदेशालय, मांग सं0–22, विपत्र कोड–22-2014.00.114.0004... में प्राप्त बजट उपबंध से चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं यात्रा व्यय मद में कुल मो0–2,32,000/–(दो लाख बत्तीस हजार) रूपये मात्र की राशि का आवंटन निम्नरूपेण की जाती हैः–

कमांक	जिला का नाम	प्राथमिक इकाई		पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3		4	5	6
1	पटना	0004.06.01	चिकित्सा प्रतिपूति।	485650	42500	528150
2	गयाजी	0004.06.01	चिकित्सा प्रतिपूति।	0	24000	24000
3	गोपालगंज	0004.06.01	चिकित्सा प्रतिपूति।	0	60000	60000
4	भागलपुर	0004.11.01	यात्रा व्यय	0	105500	105500
उप योग	**(कमांक 1 से 4 तक)**			**485650**	**232000**	**717650**

2. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 235 दिनांक 01.04.2025 द्वारा वित्त विभाग के ज्ञापांक संख्या 2561/वि(2) दिनांक 17.04.98 की कंडिका–02 में निहित चौमाही प्रतिशत बंधेज की शर्तो को वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए स्थापना प्रतिबद्ध व्यय में 100 प्रतिशत राशि को शिथिल किया गया है। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में केवल स्वीकृत पदों के विरूद्ध ही राशि की निकासी की जायेगी। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही के लिए आप स्वंय जिम्मेवार होंगे।

3. यात्रा भत्ता की निकासी यात्रा भत्ता नियमावली/वित्तीय नियमावली तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्र के आलोक में की जाएगी। किसी भी प्रकार के अनियमित, अवैध, नियम विरूद्ध एवं दोहरी निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होगें। अतएव राशि की निकासी से पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इसकी जांच कर ली जाएगी कि राशि की निकासी वित्तीय नियमावली तथा समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों में उल्लेखित प्रावधान के अनुरूप की जा रही है।

4. वर्तमान वित्तीय वर्ष के आवंटन से सेवानिवृत हुए एवं आलोच्य वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के बकाये एवं अन्य बकाया संबंधी दावों का जॉचोंपरान्त प्राथमिकता के आधार पर भुगतान करना सुनिश्चित किया जाय।

5. आवंटित राशि का संधारण आवंटन पंजी में किया जाएगा।

6. आवंटनादेश **http://home.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है।

7. व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

7/1/26

विशेष सचिव –सह– प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांक......99....../ दिनांक....7/1/26..../

अ0 नि0(03)–02 / 2025(ब0 / आ0)

प्रतिलिपि–

1. महालेखाकार, बिहार, पटना को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
5. सभी संबंधित मुख्य अभियोजक / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
6. CFMS पर बजट प्रेषित करने हेतु श्री नित्यानन्द कुमार, सहायक निदेशक(विधि))–सह–मुख्य अभियोजक (Approver) एवं श्री राजेश प्रसाद गुप्ता, प्रशाखा पदाधिकारी,(Checker) अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
7. आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को **http://home.bih.nic.in** एवं मो0 इर्शाद आलम, प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को **http://prosecution.bihar.gov.in** पर Upload करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

7/1/26

विशेष सचिव –सह– प्रभारी निदेशक।